न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा

13–मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन, 2014 का मतगणना दिनांक 16–05–2014 को निर्धारित है। ऐसी आशंका है कि मतगणना के अवसर पर अवांछित तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने एवं अस्त्र–शस्त्र का प्रयोग कर मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर विधि–व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। साथ ही अवांछित /असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

अतएव उक्त स्थिति से निपटने तथा स्वतंत्र, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतगणना प्रक्रिया के संचालनार्थ मैं, गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण मधेपुरा जिले में दिनांक 15–05–2014 को संध्या 06:00 बजे से 16–05–2014 के 12:00 बजे रात्रि तक निम्नानुसार निषेधाज्ञा लागू करता हूँ कि :–

1. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें।
2. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर–धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं लेकर चलने की अनुमति भी नहीं होगी। यह आदेश परम्परागत ढ़ंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि–व्यवस्था, मतगणना कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
3. मतगणना के दिन मतगणना कार्यो /शांति व्यवस्था बनाये रखने में लगे दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों /पुलिस बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति (अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्त्ता /गणन अभिकर्त्ता) अस्त्र–शस्त्र लेकर न तो मतगणना केन्द्र के अन्दर जा सकता है और न ही मतगणना केन्द्र के निकट घूम सकता है। जिस किसी विशिष्ट व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, वे भी शस्त्र के साथ मतगणना हॉल के अन्दर नहीं जा सकते हैं।
4. कोई भी व्यक्ति ऐसा नारा नहीं लगाएगा तथा इस तरह का भाषण नहीं करेगा, जिससे लोगों के बीच जातीय तथा साम्प्रदायिक उत्तेजना पैदा हो।
5. नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाल धारण, विवाह एवं श्मशान घाट की जुलूस इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मोहर से आज दिनांक 13–05–2014 को जारी किया गया।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 522 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 13-05-2014

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : सामान्य प्रेक्षक, 13–मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी/ मधेपुरा /उदाकिशुनगंज/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी संबंधित अंचल अधिकारी /सभी संबंधित थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निषेधाज्ञा के विधिवत् प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : ✓ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई–मेल से भेजने तथा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/05/14

जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।